कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)
//विविध कार्यालयीन आदेश//

कमांक–क्यू/दो–22–2/ओ.एम./2025 **भोपाल, दिनांक 27/05/2025**

यथानिर्देशानुसार, इस न्यायिक जिला स्थापना पर कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को उनके नाम के सम्मुख दर्शित अवधि के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि/परिवर्तित ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि एवं सार्वजनिक अवकाश मय मुख्यालय अनुमति सहित इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि वे स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त किसी भी कारणवश अवकाश अवधि को आगे नहीं बढ़ायेंगे एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि की निरन्तरता में अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।

क.	कर्मचारी का नाम	स्वीकृत/परिवर्तित ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि	रिमार्क
1	श्री राधेलाल साहू, सेल अमीन	दिनांक 02.06.2025 से 06.06.2025 तक मय मुख्यालय अनुमति	

हेतु–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल, (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक 4764/दो–22–2/ओ.एम./2025 **भोपाल, दिनांक 27/05/25**

प्रतिलिपि–

01.....
(समस्त न्यायालय भोपाल/बैरसिया)
02–प्रभारी अधिकारी कार्यालय/नजारत/प्रतिलिपि/मालखाना/कम्प्यूटर/ग्रंथालय/सांख्यिकी/अभिलेखागर अनुभाग भोपाल,
03–प्रभारी अधिकारी, नजारत/प्रतिलिपि, तहसील न्यायालय बैरसिया जिला भोपाल, म.प्र.
04–रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, भोपाल, म.प्र.
05–जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, भोपाल, म.प्र.
06–प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल, म.प्र.
07–प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय भोपाल की ओर कर्मचारीगण को ई–मेल के माध्यम से तथा कोर्ट की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु संबंधित कर्मचारी को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।

हेतु–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल, (म.प्र.)